ORDER SHEET

THE COURT 22 of 2016 SPL

Date of order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessary

21/12/2016 04:30 to 04:45 P.M राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी। आवेदक / आरोपी महावीरसिंह द्वारा श्री गब्बरसिंह गुर्जर अधिवक्ता।

😾 अनावेदक अधिवक्ता ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा—451 जा.फौ. का लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया ।

उभयपक्ष को धारा—451 जा.फौ. सुपुर्दगीनामा आवेदनपत्र पर सुना गया ।

आवेदक महावीरसिंह की ओर से श्री गुर्जर अधिवक्ता ने काले रंग का नोकिया मोबाइल जिसकाआई.ई.एम.आई. नंबर—355 है, जिसमें आईडियाक पनी की सिम डली है एवं काले रंग का रैगजीन का पर्स जिसमें 1500 रूपये रखे हैं तथा फोटो एवं परिचय पत्र, ए.टी.एम. है, को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया। अपने आवेदनपत्र के समर्थन में उसने मोबाइल प्राप्त करने हेतु शपथपत्र पेश किया है।

जिसका विरोध करते हुए ए.जी.पी. ने उक्त मोबाइल आवेदक की सुपुर्दगी पर दिये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि मोबाइल का अपराध में प्रयोग किया गया है। इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

मूल प्रकरण के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक—17/11/2016 को थाना प्रभारी गोहद चौराहा विनोद छावई ने रोजनामचा सान्हा क.—28 पर आमद सूचना की तस्दीख हेतु हमराही पुलिसबल ए.एस.आई. रामकुमार पाठक, ए.एस.आई. सत्यवीरिसंह, ए.एस.आई. दर्शनिसंह, आरक्षक जितेन्द्र यादव क0—445, आरक्षक अजीत, आरक्षक जितेन्द्र क0—1142 के रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान बिरखडी पैट्रोल पंप पर पहुंचे, तब मुखबिर के बताये हुलिया का एक व्यक्ति पुलिस को देखकर खिसकने लगा, जिसे हमाराही फॉर्स के घेरकर पकडा और मौके पर उपस्थित साक्षी रामऔतार गुर्जर, भूपेन्द्र गुर्जर के समक्ष नाम पूछे जाने पर अपना नाम आरोपी/आवेदक महावीरिसंह पुत्र केदार गुर्जर निवासी ग्राम

गोना थाना बरोही का होना बताया। जिसके हाथ में लिये पिटतू बैग को चैक करने पर बैग में एक 315 बोर का कटटा, 05 जिंदा कारतूस 315 बोर के, दो चडडी, दो बिनयान, एक जींस का पेंट व एक शर्ट तथा एक स्टील के डिब्बे में घी भरा होना पाया। तथा एक फोटो रखा पाया जिसके संबंध में पूछने पर फरारी ईनामी बदमाश अश्वनी पुरोहित का होना बताया तथा उक्त कटटे व सामग्री के संबंध में पूछताछ की तो उक्त सामग्री रसत ईनाम बदामश अश्वनी पुरोहित निवासी ग्राम लावन को देने जाने हेतु दिल्ली जाना बताया तथा कटटे व कारतूस के संबंध में लाइसेंस चाहे जाने पर नहीं होना बताया। उक्त रसद सामग्री, मय आरोपी/आवेदक महावीर से जब्त कर एवं उक्त अपराध धारा—212, 216 भा.दं.वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम व 25 27 आयुध अधिनयिम का पाये जाने से मौके पर गिरफतार कर थाना वापिस लाया गया और थाना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क0—272/2016 पर पंजीबद्ध की गयी।

आवेदक द्वारा जिस मोबाइल को सुपूर्दगी पर चाहा गया है, उसके स्वामी होने के संबंध में रसीद पेश नहीं की गयी है, शपथपत्र अवश्य इस आशय का पेश किया गया है कि रसीद गुम हो गयी है, उक्त मोबाइल घटनास्थल से आरोपी/आवेदक महावीर से जब्त हुआ है। किन्त् मोबाइल ऐसी वस्तु या संपत्ति भी नहीं है जिसके अभाव में आरोपी / आवेदक अपने दैनिक कार्यकालापों में असहजता महसूस करे। एवं आरोपी से एक काले रंग का रैग्जीन का🍢 पर्स जिसमें 1500 रूपये एवं एक परिचयपत्र रखा है जब्त किया गया है, उक्त रूपये किस आशय से उसके पास रखे थे, रूपये के संबंध में गुणदोषों पर निराकरण किया जावेगा इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है एवं ए.टी.एम. प्रकरण में जब्त नहीं है, एवं जब्त सिम का अपराध में प्रयोग किया गया है । इस प्रकरण आवेदक द्वारा अपने आवेदनपत्र के साथ जो भी संपत्ति की को सुपुर्दगी पर दिये जाने की प्रार्थना की गयी है, उनकी साक्ष्य के समय आवश्यकता पडने की भी संभावना है।

अतः बाद विचार आवेदक/आरोपी महावीर द्वारा प्रस्तुत सुपुदर्गीनामा आवेदनपत्र स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल प्रकरण में संलग्न की जावे। प्रकरण पूर्ववत दिनांक—12/01/2017 को पेश हो। परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

> (पी०सी० आर्य) विशेष न्यायाधीश, डकैती, गोहद

WINDS AND STATE OF ST

ALIMAN ALABOR BUILTING BUILTIN